न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 128 / 2016

उनवान

1. मंगला पुत्र नंगा
2. गणपत पुत्र नंगा (मृतक जरियें वारिसान)
2/1. नानू सिंह पुत्र गणपत
2/2. हीरा सिंह पुत्र गणपत
2/3. शैतान सिंह उर्फ कूका पुत्र गणपत
2/4. फूल सिंह पुत्र गणपत समस्त जाति रावत नि0 ग्राम अंसरी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटी पत्नी कालू,
2. सुवा,
3. हाकम,
4. रफीक
5. अवनी पि0 कालू, जाति मेहरात नि0 अंसरी हाल नि0 भीमपुरा, नसीराबाद,
6. उप पंजीयक नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 व 7 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 1.4.24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
8	8	1–5–0	13	0.38
9	11	0–19–10		
10	12 मिन	0–19–10	23	0.15

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सवंत 2025–28 में [illegible] नम्बर 8 रकबा 1–5–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 8 रकबा 1–[illegible] खसरा [illegible] 9 [illegible] 0–19–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 11 रकबा 0–19–10 व [illegible] 0–19–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 12 मिन रकबा 0–19–10 की आराजी अज्जा पुत्र उरजा के नाम खातेदारी दर्ज थी। खातेदार अज्जा पुत्र उरजा ने जरियें पंजीकृत वि[illegible] पत्र उक्त आराजी दिनांक

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

30.03.1972 को वादीगण को 1500 रूपये में बैचान कर दी व कब्जा दखल वादीगण को सौप दिया। तब से वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विक्रेता अज्जा की मृत्यु हो गयी है। जिसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 13 रकबा 0.38, 23 रकबा 0.15 क्रेतागण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का बैचान प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा कभी भी नही किया गया है। दिनांक 30.03.1972 का विक्रय पत्र फर्जी व कूटरचित है। वादीगण स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नही आये है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विधिक रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गयी है। वादीगण द्वारा उक्त वाद 45 वर्षो बाद पेश किया है। भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। अतः वाद सव्यय खारिज योग्य है।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक क्रयशुदा है ?

—— वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा किसी के भी पक्ष में बैनामा/रजिस्ट्री निष्पादित नही किये जाने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वादी संख्या 2 के वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में विक्रय पत्र, राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी मंगला व गवाह नानू सिंह के बयान दर्ज करवाये।

वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 4 :-

वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा विधिक [illegible] गयी है जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब में विक्रय नही क[illegible] इसलिये दोनो तनकी का एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible]क्रय पत्र की प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार साविक खसरा नम्बर 9 रकबा 0–19–10, 8 रकबा 1–5–0 व 10 रकबा 19–10–0 की आराजी तत्कालीन खातेदार अज्जा पुत्र उरजा ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र मंगला व गणपत पि0 नंगा को बैचान की थी। उक्त विकय पत्र उप पंजीयक अजमेर के यहा दिनांक 15.04.1972 को पंजीबद्व हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का बैचान प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा कभी भी नही किया गया है। दिनांक 30.03.1972 का विकय पत्र फर्जी व कूटरचित है। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। उनके द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज भी पेश नही किये है साथ ही प्रतिवादीगण ने उक्त विकय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण के पूर्वज ने उक्त आराजी की प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है। अतः धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तत्कालीन खातेदार के खातेदारी अधिकरों का अवसान हो चुका है। वादीगण द्वारा अपने वाद में आराजी मुतनाजा कय करने के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण के कथन सिद्व नही होते है। तनकी संख्या 1 व 4 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 व 4 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है। वंर्किग खसरा नम्बर 8, 11, 12 रकबा कमशः 1–8–0, 0–19–10 व 0–19–10 विकेता के नाम खाता संख्या 9 में खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 0.38 व 23 रकबा 0.15 विकेता के वारिस प्रतिवादीगण के नाम खाता संख्या 15/10 में खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा उक्त आराजी पूर्व में विकय कर दी थी। अतः बंदोबस्त विभाग/राजस्व कार्मिको को उक्त आराजी विकय पत्र की पालना में केता के नाम दर्ज करनी थी। हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज नही है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण वाद विचारण के दौरान अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है जिसे वादी दुरूस्त करवाने व खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 8 का रकबा 1–8–0 में से विकय पत्र अनुसार वादीगण ने 1–5–0 ही कय किया है। अतः वादीगण हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 0.356 व 12 रकबा 0.15 पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी बहक वादी निण्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

वादीगण आराजी मुतनाजा के विधिक केता है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा सिद्व होता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी अधिकार प्राप्ति के अधिकारी होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक वादीगण निर्णित होता है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी विकय कर दी है। उनके द्वारा बिना वजह वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी वादी सिद्व होता है। अतः वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:30 IST
Reason: SelfAttested

—4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम अन्सरी प0म0 भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 13 मिन रकबा 0.356 व 23 रकबा 0.15 की आराजी पर वादीगण का वाद " **स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:30 IST
Reason: SelfAttested